कार्यालय नगरपालिका परिषद, बहराइच।

पत्रांक–648 /जल निकासी/नि0का0/ई–टेण्डर/2024–25 दिनांक 01.10 2024

ई–निविदा सूचना

नगरपालिका परिषद, बहराइच में राज्य सेक्टर एंव जल निकासी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत निम्नलिखित 05 निर्माण कार्यो हेतु जी0एस0टी0 रहित आनलाइन निविदायें ई–टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर दिनांक 03. 10.2024.को अपरान्ह 2:00 बजे से दिनांक 25.10.2024 को अपरान्ह 3:00 बजे तक निर्माण कार्य के लिए वर्ष 2024–25 में नगरपालिका परिषद, बहराइच के साथ–साथ अन्य विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मो से प्रतिशत दर के आधार पर निम्नलिखित नियम एंव शर्तो के अधीन आमन्त्रित की जाती है। उक्त अवधि में ही ई–टेण्डरिंग के माध्यम से निविदायें ई–टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर डाउनलोड करके अपलोड की जा सकती है। कार्य की 10 प्रतिशत जमानत धनराशि एंव निविदा मूल्य अलग–अलग कार्यवार आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट के माध्यम से नगरपालिका परिषद बहराइच के इण्डियन बैंक शाखा डिगिहा स्थित खाता संख्या– 50383894033 IFS code IDIB000C601 में जमा की जायेगी अथवा निर्धारित 10 प्रतिशत जमानत धनराशि की बैंक द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/सी0डी0आर0 अथवा डाक घर द्वारा निर्गत एन0एस0सी0 भी, जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बहराइच के पदनाम से बंधक हो, निविदा के साथ अपलोड किया जा सकता है। किन्तु निविदा मूल्य को आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट से नगर पालिका परिषद, बहराइच के उक्त खाते में जमा करना होगा। आनलाइन अपलोड की गयी निविदा से सम्बंधित अभिलेखों (जैसे जमानत धनराशि/निविदा मूल्य जमा रसीद, हैंसियत/चरित्र प्रमाण पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र इत्यादि) को ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 25. 10.2024 को अपरान्ह 4:00 बजे आनलाइन खोली जायेगी। अपलोड की गयी ई–निविदाओं में से किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, बहराइच को होगा। तकनीकी बिड में अर्ह पाये गये निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदायें आनलाइन ई–टेण्डर पोर्टल पर खोलने हेतु अपलोड की जायेंगी। कार्य का विवरण, अनुमानित लागत, 10 प्रतिशत धरोहर राशि/जमानत धनराशि, निविदा मूल्य सहित विवरण निम्नवत् है–

क0सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (जीएसटी रहित)	बी0क्यू0 की धनराशि (जीएसटी रहित)	10 % धरोहर /जमानत धनराशि	निविदा मूल्य	जी0एस0टी0 18 %	ई–टेण्डरिंग शुल्क	निविदा प्रपत्र का कुल मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	लखनऊ–बहराइच मार्ग पर मौर्या ट्रैक्टर से राजस्थान मार्बल शाप तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	3259263.00	3259262.98	325930.00	3250.00	585.00	385.00	4220.00	03 माह
2	लखनऊ–बहराइच मार्ग पर ऐक्सिस बैंक से सैनिक किड्स बोर्डिग स्कूल के पास तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	3389786.00	3389785.57	338980.00	3400.00	612.00	385.00	4397.00	03 माह
3	लखनऊ–बहराइच मार्ग पर सैनिक धर्मकांटा से होटल शगुन पैलेस के पास तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	3374226.00	3374226.41	337425.00	3370.00	607.00	385.00	4362.00	03 माह
4	लखनऊ–बहराइच मार्ग पर सनी टयोटा शाप से पुलिया तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	2967948.00	2967948.07	296795.00	2960.00	533.00	385.00	3888.00	03 माह
5	लखनऊ–बहराइच मार्ग पर बन्जारी मोड से अय्यूब के मकान तक आर0सी0सी0 गहरी नाली का निर्माण कार्य।	3008496.00	3008496.23	300850.00	3000.00	540.00	385.00	3925.00	03 माह

नियम व शर्ते–

1– ई–निविदादाता द्वारा कार्यो की 10 प्रतिशत धरोहर राशि/जमानत धनराशि एंव निविदा मूल्य की धनराशि को कार्यवार अलग–अलग नगरपालिका परिषद, बहराइच के इण्डियन बैंक शाखा डिगिहा स्थित खाता संख्या– 50383894033 IFS code IDIB000C601 में RTGS / NEFT के माध्यम से जमा करके जमा रसीद /यू0टी0आर नम्बर ई–निविदा पोर्टल पर निविदा के साथ अपलोड करना होगा। इसके अतिरिक्त निर्धारित 10 प्रतिशत जमानत धनराशि की बैंक द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/सी0डी0आर0 अथवा डाक घर द्वारा निर्गत एन0एस0सी0 भी, जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बहराइच के पदनाम से बंधक हो, निविदा के साथ अपलोड किया जा सकता है। किन्तु निविदा मूल्य को आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट से नगर पालिका परिषद, बहराइच के उक्त खाते में जमा करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

2– ई–निविदा दाता को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैंसियत प्रमाण पत्र व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (जो निर्धारित समयावधि के अन्दर का हो) एंव निर्माण कार्यो हेतु किसी भी विभाग में वर्ष 2024–25 में फर्म के पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0, पैन कार्ड, श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र (जिसकी बिड कैपीसिटी निविदा लागत के बराबर अथवा इससे अधिक हो तथा आर0सी0सी0 नाली निर्माण का हो) की स्वःप्रमाणित प्रतियां तथा रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित शपथ पत्र (टी–6) ई–टेण्डर पोर्टल पर स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा मूल शपथ पत्र एंव आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट की मूल जमा रसीद तथा मूल एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 कार्यालय में जमा करना होगा।

3– समस्त निविदा ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ही स्वीकार की जायेंगी, अन्य किसी माध्यम से कोई भी निविदा स्वीकार नही होगी।

4– निविदादाता द्वारा 10 प्रतिशत जमानत धनराशि एंव निविदा मूल्य की धनराशि को नगरपालिका परिषद, बहराइच के उक्त वर्णित बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा।

5– ठेकेदार/फर्म का जी0एस0टी0 में एव श्रम विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

6– प्राप्त न्यूनतम निविदा की स्वीकृति उपरान्त न्यूनतम निविदादाता (नगर पालिका परिषद, बहराइच के पंजीकृत ठेकेदार /फर्म को छोड़कर) को अनुबन्ध से पूर्व नगर पालिका परिषद, बहराइच में नियमानुसार पंजीकरण कराना होगा तदोपरान्त नियमानुसार कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

7– स्थल पर कार्य पूर्ण होने से पूर्व प्रयुक्त निर्माण सामग्रियों की जांच ठेकेदार को अपने खर्च पर स्वयं करानी होगी।

8– 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार पूर्ण कराये गये कार्यो के सापेक्ष बिलों की वर्कडन धनराशि पर किया जायेगा।

9– उक्त कार्य हेतु कम से कम तीन–तीन निविदायें समस्त औपचारिकताओं सहित आन लाइन प्राप्त होने पर ही न्यूनतम निविदा की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

10 – सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

11– निविदा की विस्तृत जानकारी नगरपालिका परिषद, बहरइाच से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

12– किसी भी पंजीकृत ठेकेदार का ठेका स्वीकृत होने /कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात यदि कभी भी संज्ञान में आता है कि सम्बंधित किसी भी अभिलेख (प्रमाण पत्रों)/नियम के अनुसार ठेका पाने के लिए अनर्ह था अथवा सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामजिक कार्यो एंव संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो ऐसी दशा में प्रदान किया गया अनुबन्ध/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

13– नगर पालिका परिषद, बहराइच में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मो को छोडकर निविदा में भाग लेने वाले अन्य विभागों के पंजीकृत ठेकेदारों/ फर्मो को निर्माण कार्यो के सम्बंध में पर्याप्त अनुभव प्रमाण पत्र जो निविदा लागत के बराबर व उससे अधिक हो एंव सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो को भी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

14– स्थलीय सत्यापन के दौरान यदि कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी पायी जाती है तो सम्बधित ठेकेदार/फर्म द्वारा तत्काल कार्य को मानक के अनुरूप निर्देशानुसार ठीक कराना होगा अन्यथा कराये गये कार्य का कोई भी भुगतान नही किया जायेगा।

15– प्राप्त किसी भी एक ई–निविदा को अथवा समस्त निविदाओं को किसी भी स्तर पर किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। इस सम्बंध मे किसी भी ठेकेदार/फर्म का कोई दावा मान्य नही होगा। निविदा मूल्य नान रिफण्डेबुल है।

16– उक्त निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत आगणन के अनुसार ही स्थल पर मानक के अनुरूप गुणवत्ता परक कार्य न्यूनतम निविदादाता को कराना होगा।

17– इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में यदि गुणवत्ता खराब होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एंव तकनीकी त्रुटि के कारण टूट–फूट होती है तो निर्माण कार्यो के पूर्णतः की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर उसका रखरखाव ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

18– स्वीकृत कार्य को अनुमोदित आगणन की धनराशि पर ही पूर्ण कराया जायेगा।

19– कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्प्ले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एंव कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

20–. स्थल पर कार्य के प्रगति पर होने अथवा पूर्ण होने के उपरान्त शासन द्वारा अनुदान की उपलब्धता के आधार पर एंव उपयोगिता अवधि बढाये जाने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

21– तकनीकी बिड में अर्ह पायी गयी निविदाओं की ही वित्तीय निविदायें आनलाइन ई–टेण्डर पोर्टल पर खोली जायेंगी।

22– यदि उक्त तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है तो निविदा खोलने की कार्यवाही अगले कार्य दिवस में की जायेगी।

23– ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड किये गये सभी अभिलेखों की मूल प्रतियों को आवश्यकता के दृष्टिगत नगर पालिका परिषद, बहराइच को परीक्षण के समय निविदादाता को प्रस्तुत करना होगा।

24– गुणवत्तापरक कराये जाने वाले निर्माण कार्यो के बिलों के भुगतान के समय नियमानुसार परफारमेन्स गारन्टी की कटौती की जायेगी।

25– निविदादाता को गत पांच वर्षो में से किन्ही तीन वित्तीय वर्षो की आडिट वैलेन्स शीट जो पंजीकृत चार्टेड एकाउन्टेट द्वारा निर्गत किया गया हो, ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।

Scanned with OKEN Scanner

26– निविदादाता को रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र के माध्यम से यह प्रमाण पत्र देना होगा कि बिड 90 दिनों के लिए मान्य होगी तथा निविदादाता के विरूद्ध कोई अपराधिक मुकदमा किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है और न ही निविदादाता बार कौन्सिल में रजिस्टर्ड है।

27– निविदादाता को अपनी फर्म के पैड पर लिखित रूप में अपना अधिकृत स्थाई एंव पत्र व्यवहार का पता, ई मेल आई0डी0 एंव मोबाइल नम्बर सहित उपलब्ध कराना होगा।

28– निविदादाता न्यूनतम निविदादाता की श्रेणी में तभी आयेगा जब उसके द्वारा अपलोड की गयी बिड कैपेसीटी बिड वैल्यू तक अथवा उससे अधिक हो।

29– अपलोड. की गयी निविदाओं की बिड अन्तिम तिथि से 90 दिनों तक स्वीकृति के लिए वैध रहेगी। एक बार बिड अपलोड होने के उपरान्त उसे अन्तिम तिथि के पश्चात वापस नही लिया जा सकता है।

30– निविदादाता का नगरपालिका परिषद, बहराइच में कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी अथवा निर्वाचित अध्यक्ष या सदस्य का निकट सम्बंधी (खून का रिश्ता) नही होना चाहिए। यदि भविष्य में इसकी जानकारी पायी जाती है तो ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

31– सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी (एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त) सरकारी अनुमति के विना निविदा में भाग नही ले सकता है और न ही ठेकेदार की सेवा में कार्य कर सकता है।

32– न्यूनतम निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात वह स्वयं कार्य स्थल पर अपने संसाधनों एंव श्रमिकों से निर्माण कार्य करायेगा। न्यूनतम निविदादाता किसी अन्य ठेकेदार /फर्म को काम नही देगा।

33– कराये गये निर्माण कार्यो पर नियमानुसार रायल्टी एंव लेबर सेस की कटौती की जायेगी।

34– कार्यादेश निर्गत होने के एक सप्ताह के भीतर ठेकेदार /फर्म को श्रम विभाग में सम्बंधित कार्य स्थल हेतु अपने श्रमिकों का पंजीकरण कराकर पंजीकरण प्रमाण पत्र कार्यालय में उपलब्ध कराने के साथ–साथ श्रमिकों की सूची नाम व पते सहित देनी होगी।

35– नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) द्वारा जारी कोई भी नियम या निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा।

36– निविदादाता को एक शपथ पत्र रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर का अपलोड करना होगा कि अपलोड किये जाने वाले समस्त प्रमाण पत्र एंव अभिलेख सत्य हैं। असत्य पाये जाने पर निविदा निरस्त करके नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुए ठेकेदार/फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

37– न्यूनतम निविदा स्वीकृति उपरान्त अनुबन्ध के समय ठेकेदार/फर्म को रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि

(I) ठेकेदार/फर्म का प्रोपराइटर /पार्टनर किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत नही है।

(II) ठेकेदार/फर्म के पास निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त होने वाली मशीनरी एंव उपकरण स्वयं की है अथवा किराये पर लेकर आवश्यकंता के दृष्टिगत स्थल पर उपयोग में लाया जायेगा।

(III) ठेकेदार / फर्म स्वयं कार्य स्थल पर निर्माण कार्य को करायेगा। वह किसी अन्य ठेकेदार/फर्म से स्थल पर कार्य नही करवायेगा और न ही किसी ठेकेदार को किराये पर देगा।

38– प्रत्येक निविदादाता को अपनी फर्म का विगत 05 वर्षो में से किसी तीन वित्तीय वर्ष का आयकर प्रमाण पत्र (आई0टी0आर0) भी निविदा के साथ अपलोड करना होगा।

39– निविदादाता को सिविल निर्माण का पिछले 05 वर्षो में से किन्ही तीन वर्ष का टर्नओवर अपलोड करना होगा, जो सी0ए0 द्वारा प्रमाणित हो।

40– निविदादाता को रू0 25.00 लाख की लागत से अधिक के कार्यो हेतु आवश्यक मशीनरी से सम्बंधित शपथ पत्र भी देना होगा।

41– निविदादाता को तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता का शपथ पत्र एंव तकनीकी स्टाफ की डिग्री अवश्य संलग्न की जायेगी जो स्नातक सिविल इंजीनियर अथवा डिप्लोमा इंजीनियर स्तर की हो।

42– निविदा सूचना में अंकित कार्यो की स्वीकृत धनराशि में जी0एस0टी0 सम्मिलित नही है, जिसका नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

43– न्यूनतम निविदादाता द्वारा कराये गये कार्यो का भुगतान योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष ही किया जायेगा।

44– उपरोक्त समस्त शर्तो का पालन ठेकेदार/फर्म को करना होगा अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

(प्रमिता सिंह)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

(सुधा देवी)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

पृ0सं0 व दिनांक– उपरोक्त

प्रतिलिपि– 1– जिलाधिकारी महोदय बहराइच को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बहराइच को सूचनार्थ प्रेषित।
3– नगरपालिका परिषद, बहराइच के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, बहराइच।

Scanned with OKEN Scanner